न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 173/2017/225 आर टी ए

भैरूसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत निवासी गुडिया तहसील नोहर।

––अपीलांट

बनाम

राजेराम पुत्र हरनारायण जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

––रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28.10.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी नोहर प्र0सं0 8/2016 बअनवानी राजेराम बनाम भैरूसिंह

उपस्थित :–

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट

श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–06.09.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि मे रास्ता स्वीकृत किये जाने अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रोही मौजा चक 14 जेएसएन के प.न. 356/400 मु.न. 71 कि.न. 21 व 22, प.न. 355/400 मु.न. 72 कि.न. 25, प.न. 355/401 मु.न. 85 कि.न. 4 से 7, 14 ता 17 व प.न. 356/401 मु.न. 86 कि. न. 1, 2, 9 से 12, 19, 20 की कुल 4.8070 है0 खातेदारी भूमि अप्रार्थी व अन्य सहखातेदारान काश्तकार है उक्त भूमि मे अन्य अप्रार्थी/रेस्पो0 को 126–2/3 हिस्सा होना स्वीकार है। परन्तु अप्रार्थी/ रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्य सहखातेदार काश्तकार को पक्षकारान नही बनाया गया क्योंकि संयुक्त खाता मे प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक ईंच पर कब्जा काश्त कानूनी तौर पर स्थित है तथा उनकी सहमति के बिना रेस्पो0 अकेले को भूमि के बदले भूमि देने का अधिकार नही है क्योंकि संयुक्त खाता की भूमि मे रेस्पो0/अप्रार्थी अकेला भूमि कैसे दे सकता है तथा रेस्पो0 ने अन्य सहखातेदारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना उन्हे पक्षकार बनाया और ना ही उन्हे कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना उसको सुनवाई का अवसर दिये उनके

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

संयुक्त खाते मे भूमि के बदले भूमि की कटौती करना सम्भव नही है। अपीलांट की चक 14 जेएसएन के खाता सं. 106/89 मे भूमि स्थित है जिसमे मु.न. 85 के कि.न. 22 से 25 के दक्षिण की तरफ से पत्थर लाईन पर स्वीकृतशुदा रास्ता है। रेस्पो0 अपने खेत मे कि.न. 25 मे से ना जाकर मु.न. 86 के कि.न. 21 मे से आवागमन करता रहा है तथा रेस्पो0 की मु.न. 86 मे ढाणी व टयूबवैल है तथा ढाणी मे जाने के लिए मु.न. 86 के कि. न. 21 मे से होकर सुविधाजनक रास्ता है तथा मु.न. 85 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे गै.मु. खाला है तथा जो सिंचाई विभाग द्वारा पक्का निर्मित किया गया है। कानूनी तौर पर मुरब्बा के पश्चिम तरफ रास्ता व पूर्व की तरफ खाला होता है इसलिये भी गै.मु. खाला को गै.मु. रास्ता मे परिवर्तित कराने के लिए सिंचाई विभाग को पक्षकार बनाया जाना होगा तथा उसके लिए धारा 251 आरटीए मे कोई प्रावधान नही है तथा खाला की भूमि पर अधीनस्थ न्यायालय को रास्ता देने का कोई अधिकार नही है।

4. अपीलांट के पास पूर्व से कम भूमि है तथा रास्ता निकालने से और कम हो जाती है। मु. न. 85 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे से उत्तर से दक्षिण गै.मु. खाला है जो सीएडी विभाग द्वारा पक्का खाला निर्मित है उक्त खाला वर्तमान मे चालू है जिससे अपीलांट अपनी भूमि को काश्त करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया तथा जवाबदेही अथवा साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का भी कोई अवसर नही दिया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट कभी भी सही तामील नही करवाई। किलाबंदी के नियमानुसार जहां पूर्व से खाला स्वीकृत व चालू हो वहां रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है विचारण न्यायालय ने प.न. 355/401 के मु.न. 85 के कि.न. 25 मे एक गढढा चौडा व उतर दक्षिण एक किला लम्बा रास्ता कतई विधिक विरूद्ध तरीके से स्वीकृत किया है जबकि उतर दक्षिण मे उक्त किला मे पूर्व से गै.मु. खाला स्वीकृत है तथा पक्का निर्मित है एवं कृषि भूमि सिंचित होती है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने वाद भूमि का कोई मौका नही देखा ना ही तहसीलदार राजस्व नोहर से कोई रिपोर्ट ली गई बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 को अपने खेत मे आने जाने के लिए अपीलांट की भूमि मे रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमे पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो सही है। अपीलांट

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

की भूमि मु.न. 85 के कि.न. 22 ता 25 के दक्षिण की तरफ से पत्थर लाईन पर स्वीकृतशुदा रास्ता है जिससे रेस्पो0 को अपने खेत मे आवागमन करने के लिए अपीलांट के कि.न. 25 मे से जाना पड़ता है जहां से रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण रेस्पो.को आवागमन मे बाधा उत्पन्न करता रहता है इसलिये रेस्पो0 अपने खेत मे पहुंचने के लिए अपीलांट के कि.न. 25 मे से एक गट्ठा यानि 8–1/4 फुट चौडा रास्ता स्वीकृत करवाया गया है। अपीलांट का यह कथन कि अपीलांट की भूमि कम है तथा रास्ता स्वीकृत होने से और कम हो जायेगी, कतई आधार हीन है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता भूमि के ऐवज मे रेस्पो0 के कि.न. 16 मे से उतनी भूमि ही दिये जाने का आदेश भी पारित किया गया है इसलिये भूमि कम होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। रेस्पो0 को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अगर अपीलाधीन आदेश के जरिये स्वीकृत किया गया रास्ता निरस्त कर दिया जाता है तो रेस्पो0 को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर अपने खेत मे आने जाने के लिए चक 14 जेएसएन के प.न. 355/401 मु.न. 85 के कि.न. 25 मे से एक गठठा रास्ता चौडा व उतर दक्षिण एक किला लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया। जबकि अपीलांट के कथनानुसार रेस्पो0 अपने खेत मे कि.न. 25 मे से ना जाकर मु.न. 86 के कि.न. 21 मे से आवागमन करता रहा है तथा रेस्पो0 की मु.न. 86 मे ढाणी व टयूबवैल है तथा ढाणी मे जाने के लिए मु.न. 86 के कि.न. 21 मे से होकर सुविधाजनक रास्ता है, चक 14 जेएसएन की कुल 4.8070 है0 खातेदारी भूमि अप्रार्थी व अन्य सहखातेदारान काश्तकार है उक्त भूमि मे अन्य अप्रार्थी/रेस्पो0 को 126–2/3 हिस्सा होना स्वीकार है। परन्तु अप्रार्थी/ रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्य सहखातेदार काश्तकार को पक्षकारान नही बनाया गया क्योंकि संयुक्त खाता मे प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक ईंच पर कब्जा काश्त कानूनी तौर पर स्थित है तथा उनकी सहमति के बिना रेस्पो0 अकेले को भूमि के बदले भूमि देने का अधिकार नही है क्योंकि संयुक्त खाता की भूमि मे रेस्पो0/अप्रार्थी अकेला भूमि

कैसे दे सकता है तथा रेस्पो0 ने अन्य सहखातेदारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना उन्हे पक्षकार बनाया और ना ही उन्हे कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना उसको सुनवाई का अवसर दिये उनके संयुक्त खाते मे भूमि के बदले भूमि की कटौती करना सम्भव नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना मौका निरीक्षण किये तथा बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये अपीलाधीन निर्णय के जरिये रास्ता स्वीकृत कर दिया। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा पक्षकारान को सूचित करते हुए मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण किया जाना आपेक्षित है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.10.2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत वैकल्पिक रास्ता से प्रभावित काश्तकारान को आवश्यक पक्षकार के रूप मे संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.10.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official